(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3463–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–09–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला नीमच, प्रकरण कमांक 6/अ–76/2014–15.

.....

उदय सिंह पिता कालू सिंह राजपूत
निवासी ग्राम सगराना तहसील व जिला नीमच

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती मोहनबाई पत्नी स्व0श्री रूपचंद
2–श्रीमती रेणू कुमार पत्नी ज्ञानसिंह
निवासीगण नीमच म0प्र0
3–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक– आवेदक
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमच को कलेक्टर जिला नीमच से कुर्की वारंट प्राप्त होने पर आवेदक बकायादार से मुआवजे राशि

रुपये 8,54,318/– वसूली हेतु प्रकरण कमांक 9/अ–76/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–9–15 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुये कुर्कशुदा प्रश्नाधीन भूमि संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत पटटे पर दिये जाने की कार्यवाही की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि राजस्व मण्डल में पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 4129–दो/2012 विचाराधीन है अतः वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते हुये तहसीलदार को कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिये, परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और तहसीलदार को नवीन प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं है । इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह क्षेत्राधिकार रहित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि वसूली की कार्यवाही रोकने संबंधी राजस्व मण्डल से कोई भी स्थगन प्राप्त नहीं है और ना ही वरिष्ठ न्यायालय से कार्यवाही रोके जाने संबंधी कोई आदेश है । अतः स्थगन का कोई औचित्य नहीं होने से तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार तहसीलदार तहसील व जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर